

**न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट
(पीठासीन अधिकारी-अमनदीप सिंह छाबड़ा)**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा
जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन।

विरुद्ध

रूपेन्द्र पिता बलराम पटले उम्र-43 साल,
निवासी अरंडिया थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट(म0प्र0)अभियुक्त।

-:: निर्णय ::-::

दिनांक 24.10.2017 को घोषित:-

1- अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 304ए एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा-3/181, 146/196 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक 25.01.2010 को समय 09:00 बजे ग्राम अरंडिया नाले आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा के अंतर्गत लोकस्थान पर वाहन टाटा सूमो क्रमांक एम.पी.20एच.5432 को तेजगति से लापरवाही व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर आहत हीरालाल एवं जागेश कटरे को ठोस मारकर साधारण उपहति कारित की, उक्त वाहन को तेजगति से लापरवाही व उपेक्षापूर्वक चलाकर संतलाल को ठोस मारकर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता तथा उक्त वाहन को बिना बीमा व वैध अनुज्ञप्ति के चलाया।

2- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी हीरालाल ने दिनांक 30.01.2010 को थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराया किया कि दिनांक 25.01.2010 को ग्राम अरंडिया में वह, संतलाल और संतोष कटरे तीनों नंदलाल नाई के घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी रूपेन्द्र पटले निवासी अरंडिया ने टाटा सूमो को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और उन्हें टक्कर मार दिया, जिससे उसे व उसके साथियों को चोटें आई। आरोपी द्वारा ईलाज कराने का आश्वासन दिया गया तथा संतलाल को नागपूर छोड़कर भाग गया। उक्त रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें संतलाल को फ्रेक्चर होना पाया गया। दिनांक 04.02.2010 को संतलाल की मृत्यु हो गई। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं साक्षीगण के कथन लेख किये गये, घटनास्थल का मौका-नक्शा, जप्ती की कार्यवाही की गई। आरोपी के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने से धारा-279, 337, 338, 304ए भा.द.वि. एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा-183, 184, 146/196, 3/181 के अंतर्गत चालान क्रमांक 11/10 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

फा.नं.234503000842010

3— अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 304ए एवं मो.व्ही. एक्ट की धारा-146/196, 3/181 के अपराध के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.01.2010 को समय 09:00 बजे ग्राम अरडिया नाले आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा के अंतर्गत लोकस्थान पर वाहन टाटा सूमो क्रमांक एम.पी.20एच.5432 को तेजगति से लापरवाही व उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को को तेजगति से लापरवाही व उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत हीरालाल एवं जागेश कटरे को ठोस मारकर साधारण उपहति कारित किया ?
3. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को तेजगति से लापरवाही व उपेक्षापूर्वक चलाकर संतलाल को ठोस मारकर उसकी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आता ?
4. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा व वैध अनुज्ञप्ति के चलाया।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-01 से 03 का निष्कर्ष :-

सुविधा की दृष्टि तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

5— साक्षी हीरालाल अ.सा.01 ने कहा है कि वह आरोपी तथा मृतक संतलाल को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक वर्ष पूर्व की सुबह 7:00 बजे ग्राम अरण्डिया की है। ग्राम अरण्डिया मोटर सायकिल से जागेश के साथ गये थे। अरण्डिया गली पर संतलाल मिला तो वह लोग बात कर रहे थे, उसी समय जीप बहुत स्पीड से आई और संतलाल को दबोच दी। उक्त जीप को आरोपी रूपेन्द्र चला रहा था, वहां से संतलाल को परसवाड़ा अस्पताल लाये और वहां से बालाघाट ले गये थे। उसके बाद नागपुर ले गये थे। नागपुर में 8-10 दिन बाद संतलाल फौत हो गया था। उक्त घटना से उसे पैर में और पसली में चोट आई थी और जागेश को एक पैर में चोट आई थी। उक्त घटना आरोपी की गलती से हुई थी। वह लोग साईड में थे। उसने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना परसवाड़ा में दर्ज करवाया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटना के बाद वह बेहोश हो गया था। पुलिस वाले बाद में नक्शा बनाये हो तो ध्यान नहीं है। मौका-नक्शा

प्र.पी.02 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान ली थी। पुलिस वालों ने उसका मुलाहिजा करवाया था।

6— साक्षी हीरालाल अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि अरण्डिया में सीमेंट रोड है, किन्तु यह स्वीकार किया कि गांव की गली के दोनों तरफ मकान हैं तथा गांव की गली है और वहां से मात्र एक गाड़ी निकल सकती है। यह अस्वीकार किया कि वह लोग मोटर सायकिल में ही थे और बातचीत कर रहे थे। साक्षी के अनुसार मोटर सायकिल खड़ी थी और वह लोग बातचीत कर रहे थे। यह अस्वीकार किया कि वह लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कौन गाड़ी चला रहा था नहीं देखे थे। वह नाम से नहीं जानता, किन्तु उसमें एक व्यक्ति बैठा था। यह अस्वीकार किया कि जीप को नरेन्द्र चला रहा था। यह स्वीकार किया कि गांव में सामान्यतः धीमी गति से गाड़ी चलती है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया कि जिस गाड़ी से घटना हुई थी, वह सामान्य गति से चल रही थी, वह लोग मोटर सायकिल में तीन लोग थे तथा वह संतलाल एवं जागेश तीनों मोटर सायकिल में बैठकर जा रहे थे, गाड़ी आई तो वह लोग अचानक गिर गये और गिरने से उसे चोट लगी थी, रूपेन्द्र गाड़ी में नहीं बैठा था और ना ही गाड़ी चला रहा था। वह गाड़ी का नंबर एवं कौन सी मॉडल की गाड़ी थी नहीं सकता। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि गाड़ी अचानक गिरी थी, गाड़ी से टक्कर नहीं लगी थी और वह उन्होंने आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किये हैं तथा आरोपी तेज एवं लापरवाही से वाहन नहीं चला रहा था और वह लोग स्वयं की गलती से गिरे थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्र.पी.02 पर उसके हस्ताक्षर थाने में करवाये गये थे, किन्तु यह अस्वीकार किया कि प्र.पी.02 मौका-नक्शा बनाया था, उस समय मौका-नक्शा तैयार नहीं था। यह अस्वीकार किया कि गाड़ी नरेन्द्रसिंह चला रहा था और उनके समाज का होने के कारण आरोपी को प्रकरण में झूठा फंसाये थे।

7— साक्षी जागेश कटरे अ.सा.14 ने कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना वर्ष 2010 की सुबह लगभग 10-11 बजे ग्राम अरंडिया में नंदलाल के घर के सामने गली की है। घटना दिनांक को वह घटनास्थल पर संतलाल सरोते के मिलने पर रोड के एक साईड खड़े होकर उससे बातचीत कर रहा था, उसी समय आरोपी रूपेन्द्र ने उसकी टाटा सूमों को पीछे से लेकर आया और उन लोगों को टक्कर मार दिया। उक्त दुर्घटना में उसे बांये पैर के घुटने में चोट आई थी। उक्त दुर्घटना में संतलाल की मृत्यु हो गई थी और हीरालाल को भी चोटें आई थी। उक्त दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी, क्योंकि आरोपी ने नई गाड़ी खरीदा था और चालक को साईड की सीट में बैठाकर स्वयं वाहन चला रहा था, क्योंकि आरोपी गाड़ी चलाना सीख रहा था। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल परसवाड़ा में हुआ था, उसके बाद उसने डॉ० शिव पवार के यहां बालाघाट में ईलाज करवाया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि वह अपनी मोटर सायकिल में बैठा हुआ था, उसका सामना जो वाहन पीछे से आया था, उसके विपरीत दिशा में था, उसने जो वाहन चला रहा था, उसे नहीं देखा था, घटना के समय उक्त वाहन में नरेन्द्र भी बैठा था,

फा.नं.234503000842010

उक्त गाड़ी का चालक नरेन्द्र था। साक्षी के अनुसार घटना के समय आरोपी गाड़ी चला रहा था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने आरोपी रूपेन्द्र को गाड़ी चलाते हुये नहीं देखा था और लोगों के बताये अनुसार घटना के समय आरोपी के द्वारा वाहन चलाया जा रहा था, बता रहा है। साक्षी के अनुसार एक बार टक्कर मारने के बाद जब उसने देखा कि रूपेन्द्र ड्रायवर सीट में बैठा था और दूसरी बार टक्कर मारने पर उन लोगों को टक्कर मारा था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है कि घटना के समय वाहन धीरे चल रहा था, घटनास्थल सकरा रास्ता था, आरोपी अपनी गाड़ी से जा रहा था और वह लोग भी मोटर सायकिल से जा रहे थे, उसी समय उनकी मोटर सायकिल अनियंत्रित होकर आरोपी के वाहन के सामने आ गई थी, घटना के समय आरोपी रूपेन्द्र गाड़ी नहीं चला रहा था, घटना के समय नरेन्द्र वाहन को चला रहा था, वह लोग स्वयं मोटर सायकिल को असंतुलित रूप से चलाकर गिर गये थे, जिसके कारण वह लोग आरोपी के वाहन के सामने आ गये थे, आरोपी के वाहन ने उन्हें टक्कर नहीं मारी थी तथा स्वयं की गलती को छुपाने के लिये वह आरोपी के द्वारा घटना कारित करने वाली बात झूठी बता रहा है।

8— साक्षी नरेन्द्र उइके अ.सा.11 ने कहा है कि वह आरोपी रूपेन्द्र, मृतक संतलाल एवं आहतगण को पहचानता है। घटना पिछले वर्ष की है, उसे ध्यान नहीं है। घटना सुबह 7-8 बजे ग्राम अरण्डिया की है। घटना दिनांक को उसने टाटा सूमो वाहन जो आरोपी का था, को निकाल कर रोड के किनारे खड़ा कर दिया था, तभी आरोपी उससे चाबी लेकर स्वयं चलाने के लिये कहने लगा। वाहन को चालू कर दिया और एकदम से वाहन को बढ़ा दिया तो सामने में मोटर सायकिल जिसमें आहतगण एवं मृतक बैठे थे उनपर चढ़ा दिया, जिससे मृतक संतलाल टाटा सूमो वाहन की चपेट में आ गया और अन्य दोनों आहतगण साईड में गिर गये थे। घटना के समय वह टाटा सूमो वाहन चालक के साईड पर बैठा था। टाटा सूमो वाहन की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि पुल पर चढ़कर दीवाल से टकराया तब वाहन रुका। दुर्घटना के बाद ईलाज के दौरान संतलाल की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह आरोपी के यहां ड्रायवर का कार्य करता था, वह स्वयं ही घटना दिनांक को आरोपी के घर आया था और वाहन को बाहर निकाला था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आहतगण मोटर सायकिल से आ रहे थे। साक्षी के अनुसार मोटर सायकिल पर बैठे हुए थे और साईड पर खड़े थे। यह अस्वीकार किया कि आहतगण मोटर सायकिल से आ रहे थे और हड़बड़ाहट होने से गिर गये थे, जिससे वाहन की चपेट में आ गये थे। यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वाहन आरोपी के घर से निकाला था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि घटना के समय वह स्वयं वाहन को चला रहा था। साक्षी के अनुसार वह चालक की साईड में बैठा था और वाहन नहीं चला रहा था। यह अस्वीकार किया कि उसके द्वारा वाहन चलाया जा रहा था और उसके द्वारा ही घटना घटित हुई थी, आरोपी साईड की सीट पर बैठा हुआ था, आरोपी वाहन नहीं चला रहा था, मृतक संतलाल उसका फूफा था, मृतक संतलाल उसका सगा रिश्तेदार होने से उसने उसके साथ मिलकर आरोपी के द्वारा वाहन चलाने वाली बात झूठी लिखवाई थी तथा गांव के समाज

फा.नं.234503000842010

के लोगों के साथ मिलकर झूठा प्रकरण तैयार करवाये थे, क्योंकि गाड़ी आरोपी की थी तथा उक्त दुर्घटना आहतगण के हड़बड़ाने के कारण घटित हुई थी।

9— साक्षी श्रीमती महिमाबाई अ.सा.08 ने कहा है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को पहचानती है। वह हीरालाल, जागेश एवं संतलाल को नहीं जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो साल पहले सुबह 8-9 बजे की है। घटना के समय वह आरोपी के घर माटी फेंकने के रुपये लेने गई थी, उस समय आरोपी सफेद रंग की मार्शल गाड़ी पर बैठा हुआ था तथा आरोपी ने उसकी गाड़ी को आगे बढ़ाया और साईड में खड़े तीन लोगों को टक्कर मार दिया था, किन्तु वह देख नहीं पाई थी कि उसमें से कितने लोगों को टक्कर लगी थी। उसने एक को टक्कर लगी देखी, जिसके बाद वह घबरा गई थी। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी की गाड़ी टाटा सूमो थी और पुलिस ने जब उससे पूछताछ की थी, तब भी उसने गाड़ी टाटा सूमो बताई थी, आरोपी अपनी गाड़ी को चालू करके आगे बढ़ाया और साईड में खड़े तीन लोगों को टक्कर मार दिया, एक व्यक्ति को काफी चोट लगी थी, फिर गांव के लोग वहां आ गये थे, जिन्होंने पानी पिलाया था। उसे जानकारी नहीं है कि उक्त व्यक्ति का नाम संतलाल सरोते था। यह अस्वीकार किया कि उसने बयान देते समय संतलाल, जागेश एवं हीरालाल का नाम बताई थी तथा घटना पुरानी होने से उसे नाम याद नहीं है।

10— साक्षी श्रीमती महिमाबाई अ.सा.08 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जिससे दुर्घटना हुई थी वह गाड़ी टाटा सूमो थी या मार्शल थी वह नहीं बता सकती, उसने टाटा सूमो से घटना होना नहीं बताई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। साक्षी के अनुसार उसने पूछताछ में मार्शल गाड़ी बताया था। यह अस्वीकार किया कि जब वह पैसे लेने घर के अंदर गई थी, तब वाहन घर के बाहर खड़ा था। यह स्वीकार किया कि वह घर के अंदर पैसा मांगने गई थी, गाड़ी घर के बाहर थी, उसने घर के अंदर जाकर बाई से पैसा मांगी थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसके बाहर आने के पहले आरोपी गाड़ी लेकर चला गया था तथा गाड़ी में नरेन्द्र बैठा था, जो उक्त वाहन चला रहा था और उपरोक्त तीनों व्यक्ति बीच रोड पर खड़े थे तथा गाड़ी जब चालू होती है तब उसकी गति धीमी होती है। यह स्वीकार किया कि तीन व्यक्ति घर से थोड़ी दूर पर खड़े थे, वह इतनी दूर पर थी कि उस समय गाड़ी स्टार्ट करके ले जा रहे थे, तो धीमी थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि जब गाड़ी चल रही थी, तब आहतगण सामने आ गये थे और उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी और वह घर के अंदर थी। यह स्वीकार किया कि घटना किसकी गलती से हुई थी वह नहीं बता सकती, वह तीनों व्यक्तियों का नाम नहीं जानती है और उसने थाने में भी उन तीनों व्यक्तियों का नाम नहीं बताई थी, यदि उसके पुलिस बयान में लिखा हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकती। यह अस्वीकार किया है कि उसे पैसे नहीं देने के कारण वह आरोपी के द्वारा गाड़ी चलाने वाली झूठी बात बता रही है और उसने घटना नहीं देखी थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह घटनास्थल पर नहीं गई थी तथा किस-किस को कहां-कहां चोटे आई थी उसने नहीं देखी

थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसने पुलिस को आहतगण की चोटों के संबंध में नहीं बताई थी।

11— साक्षी फूलाबाई अ.सा.06 ने कहा है कि वह आरोपी एवं मृतक संतलाल को पहचानती है। घटना पिछले वर्ष जनवरी माह के पहले ग्राम अरण्डिया की उसके घर के पास की सुबह 8:00 बजे की है। एक सफेद जीप थी। वह पढ़ी-लिखी नहीं है। उक्त जीप को आरोपी चला रहा था और आरोपी ने जीप को संतलाल के उपर चढ़ा दिया था, गाड़ी की तेज आवाज आई और बच्चे की रोने की आवाज आई तो निकल कर देखी थी। संतलाल बाद में बालाघाट में फौत हो गया था। संतलाल पुलिस के पास खड़ा था और लोग खड़े थे या नहीं मालूम नहीं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह 9:00 बजे घर के सामने खड़ी थी, उसी समय आरोपी ने अपनी टाटा सूमो सफेद रंग को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक खतरनाक तरीके से चलाकर उसके सामने से ले गया और थोड़ी दूर ले जाकर नंदलाल नाई के घर के सामने तीन लोग खड़े थे, उन्हें टक्कर मार दिया था, तब उसने जाकर देखी तो मोटर सायकिल क्षतिग्रस्त हो गई थी और बहुत लोग खड़े थे, बाद में उसे पता चला था कि ग्राम चीनी का हीरालाल, जागेश और ग्राम सुरवाई ओ.पी. डोरा के संतलाल थे, फिर संतलाल को पानी पिलाये और उसे परसवाड़ा अस्पताल ले गये थे, उसके बाद वह घर वापस आ गई थी। साक्षी ने पुलिस को बयान दिया था।

12— साक्षी फूलाबाई अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना 8:00 बजे की है, 9:00 बजे की नहीं है। उसने पुलिस बयान में यदि 9:00 बजे की घटना लिखाई हो तो वह गलत है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह अपने घर के अंदर थी, उसने घटना नहीं देखी थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि वह घर के अंदर होने के कारण गाड़ी कौन चला रहा था और कैसे चला रहा था, उसने नहीं देखी थी तथा जब आहतगण को उठाकर ले जा लिये थे, तब वह गई थी तथा वह नहीं देख पाई थी कि गाड़ी कैसे चल रही थी और गाड़ी स्टार्ट करते समय धीमी थी, किन्तु यह स्वीकार किया कि उसने मोटर सायकिल कहां खड़ी थी, नहीं देख पाई थी। वह हीरालाल, जागेश एवं संतलाल मोटर सायकिल में थे या नहीं वह नहीं देख पाई थी। यह स्वीकार किया कि यदि वे लोग मोटर सायकिल से गिरे हो तो वह नहीं बता सकती, किन्तु यह अस्वीकार किया कि मोटर सायकिल से जा रहे थे और मोटर सायकिल से वहां गिर गये थे तथा घटना के समय गाड़ी आरोपी नरेन्द्र चला रहा था तथा उसने कोई घटना नहीं देखी और झूठ बोल रही है और संतलाल सरोते उसका दामाद था और संतलाल सरोते उसका दामाद था, इसलिये वह असत्य कथन कर रही है।

13— साक्षी नंदराम मेरावी अ.सा.17 ने कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो-तीन वर्ष पूर्व सुबह दस बजे ग्राम अरण्डिया की है। वह मृतक संतलाल, आहत हीरालाल तथा जागेश को जानता है। वह नंदलाल नाई के यहां कटिंग कराने गया था। नाई द्वारा इंतजार करने के लिए कहने पर वह बाहर खड़ा था, तभी आरोपी रूपेन्द्र पटले जीप को चलाकर लाया और मोटर सायकिल को चढ़ा दिया था। मोटर

फा.नं.234503000842010

सायकिल में तीन लोग सवार थे, जिनमें से एक कुरवाई गांव का था और एक चीनी गांव का था। एक व्यक्ति का पैर टूट गया था। एक व्यक्ति घायल हो गया था। उसे वाहन का नंबर नहीं मालूम। वह वाहन किस कंपनी का था, नहीं बता सकता। वह नहीं बता सकता कि गलती किसकी थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने कथन किया कि उससे पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। वह यह नहीं बता सकता कि घटना 25.01.2010 की है। यह स्वीकार किया कि घटना सुबह करीब 9:00 बजे की है तथा उसे गाड़ी का नंबर नहीं मालूम है, आरोपी टाटा सूमो वाहन चला रहा था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि आरोपी टाटा सूमो नंबर एम. पी.20एच.5432 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चला कर लाया और संतलाल, जागेश और हीरालाल को टक्कर मार दिया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जहां घटना घटित हुई वह रास्ता काफी सकरा था, आहतगण तीन लोग मोटर सायकिल से आ रहे थे, उसने नहीं देखा था कि जिससे घटना घटित हुई थी, उसे कौन चला रहा था, उस समय चालक नरेन्द्र उस गाड़ी को चला रहा था, मोटर सायकिल में तीन आहत लोग बैठे हुए थे और सकी जगह होने के कारण गाड़ी अनबेलेंस हो गई और मोटर सायकिल गिर गई, जिसके कारण दुर्घटना घटित हुई थी, आहत तीन लोग बैठे थे और उनकी गलती के कारण यह घटना घटित हुई थी, उसने अपने पुलिस कथन में गाड़ी का नंबर नहीं लिखाया था, पुलिस ने गाड़ी का नंबर कैसे लिख लिया, उसे नहीं मालूम, उसके द्वारा पुलिस को तेजी व लापरवाहीपूर्वक आरोपी के द्वारा वाहन चलाने के संबंध में कथन नहीं किये गये थे तथा सूमो वाहन धीरे चल रहा था और सूमो वाले की कोई गलती नहीं थी।

14— साक्षी रमेश उइके अ.सा.13 ने कहा है कि वह आरोपी, आहतगण एवं मृतक को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पूर्व सुबह 8-10 बजे ग्राम अरण्डिया में नंदलाल शेण्डे के घर के सामने की है। घटना के समय वाहन की तेज आवाज एवं दौड़ो-दौड़ों की आवाज आने पर वह वहां गया था, तो देखा कि मृतक संतलाल बेहोश पड़ा था, जिसे पानी पिलाया गया था और आहतगण वहीं साईड में बैठे हुये थे। आहतगण की मोटर सायकिल साईड में नाली में गिरी हुई थी तथा टाटा सूमो वाहन रोड के किनारे पुलिया पर चढ़ी हुई थी। आरोपी उस समय गाड़ी से उतर गया था। आहतगण को अस्पताल भेजे थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे बाद में यह पता चला था कि आरोपी ने तेज रफ्तार एवं खतरनाक तरीके से टाटा सूमो को चलाकर तीन व्यक्ति जो खड़े थे, उन्हें टक्कर मार दिया था तथा उक्त दुर्घटना से ही ईलाज के दौरान मृतक संतलाल की मृत्यु हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसने घटना नहीं देखा था और घटना के बाद वह पहुँचा था, वाहन को कौन चला रहा था, वह नहीं बता सकता, घटनास्थल पर नरेन्द्र भी था। उसे नहीं मालूम कि आरोपी के घर के वाहन का ड्रायवर नरेन्द्र था या नहीं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मोटर सायकिल टाटा सूमो वाहन के दाहिने तरफ नाली में पड़ी हुई थी। वह नहीं बता सकता कि मृतक संतलाल की मृत्यु ईलाज नहीं होने के कारण हुई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के

फा.नं.234503000842010

लगभग एक माह बाद संतलाल की मृत्यु हुई थी तथा उसने घटना घटित होते नहीं देखा था, इसलिये नहीं बता सकता कि घटना कैसे घटित हुई थी।

15— साक्षी नंदलाल अ.सा.12 ने कहा है कि वह मृतक संतलाल को जानता था। वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को पहचानता है, जो उसका पड़ोसी है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो वर्ष पूर्व सुबह 8-10 बजे उसके घर के सामने ग्राम अरण्डिया की है। घटना के समय जोर की आवाज आने पर वह बाहर जाकर देखा तो मृतक संतलाल रोड पर गिरा हुआ पड़ा था और पानी-पानी बोल रहा था, तो उसने पानी ले जाकर पिलाया था। उस समय काफी भीड़ हो गई थी। उसने आरोपी को नहीं देखा था। उस समय टाटा सूमो वाहन पत्थर के पुल से टकराया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी ने अपने वाहन टाटा सूमो से आहतगण को टक्कर मारी थी। यह स्वीकार किया है कि उसे बाद में पता चला था कि टाटा सूमो के चालक ने मोटर सायकिल पर सवार तीन लोगों को टक्कर मारी थी तथा उसने पुलिस को आरोपी के द्वारा टाटा सूमो से आहतगण को टक्कर मारने वाली बात बताई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने घटना नहीं देखा था, टाटा सूमो वाहन कौन चला रहा था, वह नहीं बता सकता, घटना कैसे घटित हुई थी उसे जानकारी नहीं है।

16— साक्षी मेहताबसिंह अ.सा.02 ने कहा है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को जानता है। घटना पिछले वर्ष सुबह 9:00 बजे की है। मौके पर वह नहीं था, उसका घर दूर है, उसे एक-दो घंटे बाद पता चला था कि संतलाल का एकसीडेंट हो गया है, उसके बाद परसवाड़ा अस्पताल लाये थे, फिर वहां पर पट्टी किये, फिर बालाघाट ले गये थे। साथ में बालाघाट तक वह भी गया था, वहां पर सरकारी अस्पताल में भर्ती किये थे। मौके पर उपस्थित चैतराम और नंदराम ने उसे बताया था कि आरोपी रूपेन्द्र गाड़ी चला रहा था और उन्होंने बताया कि वह लोग नाई की दुकान में बैठे थे, तब आरोपी ने गाड़ी चालू किया और एकसीडेंट कर दिया, जिससे आहत को पैर, जांघ, पीठ एवं कमर में चोटें आई थी। घटना किस वाहन से हुई थी उसे जानकारी नहीं है। सफेद कलर की गाड़ी थी, जिसका क्रमांक एम.पी.20एच.5432 था। उसके बाद बालाघाट गये थे और वहां से वापस आ गये थे। संतलाल की मृत्यु 15 दिन बाद हो गई थी, उसके समक्ष पंचनामा प्र.पी.03 बनाया गया था या नहीं उसे याद नहीं है। प्र.पी.03 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं या नहीं वह नहीं बता सकता। संतलाल का पोस्टमार्टम परसवाड़ा अस्पताल में हुआ था, उसके शव को उसके परिवारवालों को दिया गया था। वह नहीं बता सकता कि प्र.पी. 04 पर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने घटना होते नहीं देखा था, उसने अस्पताल में ही मरीज को देखा था, उसने घटना नहीं देखा था, इसलिये नहीं बता सकता कि कौन व्यक्ति वाहन चला रहा था, घटना कैसे हुई इसकी उसे जानकारी नहीं है, जब वह गया था, उस समय ईलाज हो गया था, इसलिये नहीं बता सकता कि उसे कहां-कहां चोट आई थी, वह मौके पर नहीं था, इसलिये वह नहीं बता सकता कि आहत को कैसे चोट आई थी, उससे पुलिस थाना या अन्य जगह पर

पुलिसवालों ने हस्ताक्षर नहीं करवाये थे तथा वहां पर पुलिसवालों ने क्या-क्या कागज बनाये थे, उसे इसकी जानकारी नहीं है।

17— साक्षी डॉ० अवधेश कुमार गौर अ.सा.10 ने कहा है कि वह दिनांक 05.02.2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परसवाड़ा में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक बाबूराव क्रमांक 681 द्वारा संतलाल के शव को परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाया गया था, जिसका उसके द्वारा परीक्षण किया गया था। उसने मृतक संतलाल के शरीर में अकड़न नहीं पाया था, उसकी आंखें बंद एवं पुतली फैली हुई थी, मुंह बंद था, जीभ मुँह के अंदर थी, कान सामान्य थे एवं नाक से झाग निकल रहा था। उसने बांये घुटने के नीचे एक कटा-फटा घाव पाया था, जिस पर हड्डी दिख रही थी और उसके आस-पास सूजन थी एवं वहां की त्वचा का रंग काला था। एक कटा-फटा घाव बांये पैर के नीचे भाग पर था, जिसमें हड्डी दिख रही थी, एक फटा हुआ घाव बांई जांघ पर था, जिसमें सूजन और सेलेराईटिस था, एक फटा घाव दाहिने जांघ के पीछे भाग पर था तथा एक फटा घाव दाहिने जांघ पर सामने की ओर बाहर की तरफ था। उक्त सभी चोटें 12 दिन के अंदर की थी। मृतक की पर्दा, पसली, कोमलस्य, फुफ्फुस कंजस्टेड (संकुचित) थी। दाहिना एवं बांया फेफड़ा संकुचित था एवं हृदय दोनों ओर खाली था। पेट और उसके भीतर की वस्तुएं खाली थी। बड़ी आंत, छोटी आंत और उसके भीतर की वस्तुओं में मल एवं गैस थी। प्लीहा, गुर्दा संकुचित था एक प्रकार से खाली था। भीतरी एवं बाहर जननेन्द्रियों में सूजन थी। बांई जांघ के उपरी भाग पर कंपाउंड फ्रैक्चर था। उसके मतानुसार मृतक संतलाल की मृत्यु का कारण 12 दिन पुरानी चोटें थी, जो कि एक्सीडेंट से आई थी। मृतक की मृत्यु उसके परीक्षण से 30 से 36 घंटे के अंदर की थी। 30 घंटे के पहले एवं 36 घंटे के बाद का है। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.09 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18— साक्षी डॉ० अवधेश कुमार गौर अ.सा.10 के अनुसार उसके द्वारा उक्त दिनांक को उक्त आरक्षक के द्वारा आहत हीरालाल को परीक्षण हेतु लाने पर उसके द्वारा परीक्षण किया गया था, जिसमें उसने आहत हीरालाल के बांये घुटने के जोड़ के सामने पैर पर एक खरोंच होना पाया था तथा बांये पैर के नीचे भाग पर सामने की ओर एक खरोंच होना पाया था। उक्त चोटें खुरदुरी एवं कड़ी वस्तु से आना प्रतीत होती थी एवं साधारण प्रकृति की थी तथा उक्त चोटें 5-6 दिन के अंदर की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.10 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को आरक्षक गोंडसिंह क्रमांक 48 थाना परसवाड़ा द्वारा आहत जागेश को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका परीक्षण करने पर उसने उसके बांये घुटने के जोड़ पर पूरी सूजन होना पाया था तथा उसके बांये अंगुठे, बांये पैर पर फटा हुआ घाव सूजन सहित पाया था। उक्त चोटें कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी और उसके परीक्षण के 5-6 दिन के पूर्व की थी। उक्त चोटों के लिये एक्स-रे की सलाह दी गई थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि जिस चोट का परीक्षण किया गया था, वह 15 दिन पूर्व की थी। साक्षी के अनुसार 12 दिन पूर्व की थी। यह स्वीकार किया है कि मृतक संतलाल की सभी चोटें कमर के नीचे भाग पर थी, यदि मृतक संतलाल को सही तरीके से ईलाज

फा.नं.234503000842010

मिलता तो वह ठीक हो जाता और मोटर सायकिल से खुद चलाते हुए तेज रफ्तार से गिरने से उक्त चोटें आ सकती है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि मृतक संतलाल के फेफड़े, पसली इत्यादि सामान्य स्थिति में थे। यह स्वीकार किया है कि मृतक संतलाल की मृत्यु सही ईलाज नहीं होने के कारण संक्रमण होने के कारण हुई थी तथा कमर के नीचे आई चोट से रक्त में संक्रमण होने के कारण उक्त संक्रमण रक्त से फेफड़ों में पहुँचने से उक्त फेफड़ा संकुचित होना संभव है तथा दुर्घटना की स्थिति में तत्काल संक्रमण नहीं होता है तथा उचित ईलाज नहीं होने से शरीर के भाग में सूजन, मवाद इत्यादि की स्थिति थी और यदि उचित ईलाज होता तो मृतक की मृत्यु नहीं होती। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आहत हीरालाल को आई चोटें साधारण प्रकृति की थी और मोटर सायकिल से फिसलने से आ सकती है तथा आहत जागेश्वर को आई चोटें स्वयं द्वारा मोटर सायकिल से गिरने से आ सकती है। साक्षी के कथनों से घटना के समय आहतगण हीरालाल एवं जागेश को चोटें आने की पुष्टि होती है।

19— साक्षी विशाल अ.सा.20 ने कहा है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना के समय उसके पास वाहन महिन्द्रा मैक्स जी क्रमांक एम.पी.50डी.0328 था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 25.01.2010 को वह परसवाड़ा अस्पताल गया था, तो अरण्डिया एक्सीडेंट में घायल तीन लोग संतलाल, हीरालाल व जागेश कटरे आये थे, हालत खराब होने के कारण डॉक्टर ने बालाघाट रिफर किया था, तो रूपेन्द्र पटले उसके पास आया था, उसने उसकी जीप को उक्त घायलों के ईलाज के लिये बालाघाट अस्पताल भिजवाया था, जिसके किराये के बारह सौ रुपये रूपेन्द्र पटले ने दिये थे और बताया था कि उसकी टाटा सूमो का एक्सीडेंट होने से वह लोग घायल हुये थे। साक्षी के अनुसार उस समय उसकी जीप से अक्सर घायलों को बालाघाट अस्पताल ले जाया जाता था। उसे आज ध्यान नहीं है कि कितनी बार कितने लोगों को ईलाज हेतु ले जाया गया है। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.17 पुलिस को न देना व्यक्त किया।

20— डॉ० डी०के० राउत अ.सा.07 ने कहा है कि वह दिनांक 29.01.2010 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक 25.01.2010 को एक्स-रे टेक्नीशियन ए.के. सेन ने आहत संतलाल के सीने का पेल्विस हड्डी, दोनों कूल्हे का तथा बाईं जांघ एवं बांये पैर का एक्स-रे किया था, जिसका एक्स-रे प्लेट क्रमांक 308 था, जिसे डॉ० समद ने एक्स-रे हेतु रिफर किया था। उपरोक्त एक्स-रे प्लेट उसके समक्ष परीक्षण हेतु रखे जाने पर उसने उसके सीने की हड्डियों में कोई फ्रैक्चर नहीं पाया था, परंतु पेल्विस हड्डी के दोनों सुपिरियरस रेमस वाले भाग में तथा बांये फिमर हड्डी के मध्य भाग में तथा बांये पैर की टिबिया और फिबिया हड्डी के नीचले एक तिहाई भाग में अस्थिभंग होना पाया था, उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 02.02.2010 को एक्स-रे टेक्नीशियन ए.के. सेन ने आहत जागेश के बांये घुटने और बांये पैर के पंजे का एक्स-रे किया था, जिसका एक्स-रे प्लेट क्रमांक 414 था।

फा.नं.234503000842010

उपरोक्त एक्स-रे प्लेट उसके समक्ष परीक्षण हेतु रखे जाने पर उसने उसके पैर की हड्डी में कोई फ्रैक्चर नहीं पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसके द्वारा एक्स-रे नहीं किया गया था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि एक्स-रे चोट के एक सप्ताह पहले की थी। साक्षी के अनुसार एक्स-रे में केलस नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिये दो सप्ताह पूर्व की हो सकती है, परंतु बाद की नहीं। यह अस्वीकार किया कि हड्डी में केलस एक माह के बाद दिखाई देना चालू होता है। साक्षी के अनुसार 15 दिन के बाद दिखाई देना चालू हो जाता है। यह अस्वीकार किया कि उपरोक्त चोटें गिरने से आ सकती हैं, किन्तु यह स्वीकार किया कि मोटर सायकिल से तेज गति से जाते समय गिरने से उक्त चोटें आना संभव है।

21— साक्षी डॉ० आलोक नरेश उमरे अ.सा.19 ने कहा है कि वह दिनांक 26.01.2010 को आरोग्यम हॉस्पिटल नागपुर में चिकित्सक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को संतलाल सरोटे उम्र-40 वर्ष का उसके द्वारा ईलाज किया गया था। आहत को कौन, कितने समय लाया था, जानकारी नहीं है। आहत की छाती में इंजुरी थी। उसके रीढ़ की हड्डी एवं पैर की हड्डी टूटी हुई थी। उसे निमोनिया भी हो गया था। उसने रिपोर्ट में हस्ताक्षर नहीं किया, इसका वह कोई कारण नहीं बता सकता। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.16 है, जो उसकी हस्तलिपि में है। मरीज ने उसका पूरा ईलाज नहीं कराया और मरीज के रिश्तेदारों ने उन्हें बताकर अपनी मर्जी से डॉक्टर की सलाह के पूरा ईलाज न करवाकर मरीज को ले जा लिये थे, उसकी स्थिति गंभीर थी, उसके बचने के चांस बहुत कम थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्र.पी.16 की परीक्षण रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं, आहत के परिजनों ने डॉक्टरी सलाह के विपरीत मरीज को डिस्चार्ज करा लिया था, आहत को और ईलाज की आवश्यकता थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आहत को स्वयं उसकी लापरवाही के कारण बीमारियाँ थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि यदि आहत का उसके पास और ईलाज करवाया जाता, तो उसके बचने की संभावना थी।

212 संतलाल को पहचानता है। मृत्यु पंचनामा प्र.पी.03 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस ने प्र.पी. 03 का कागज उसे पढ़कर नहीं सुनाया था और ना ही उसने पढ़कर देखा था और वह क्या कागज था, उसे जानकारी नहीं है तथा उसने पुलिसवालों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था।

23— साक्षी भरतलाल अ.सा.09 ने कहा है कि मृतक संतलाल सरोटे उसका भाई था। उसके भाई की मृत्यु जीप दुर्घटना से होने के संबंध में जानकारी लगी थी। नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.05 एवं मृत्यु जांच में उपस्थित होने बाबत आवेदन प्र.पी.03 पर कमशः ग से ग और द से द भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, उसने थाने एवं अस्पताल में कोई हस्ताक्षर नहीं किया है, उसके सामने कोई दस्तावेज तैयार

फ़ा.नं.234503000842010

नहीं किया था। साक्षी के अनुसार थाने में पंचनामा तैयार किया था। यह स्वीकार किया कि उक्त पंचनामा पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं तथा पुलिस ने क्या कार्यवाही की थी, उसके संबंध में कुछ नहीं बताया था तथा प्र.पी.03 एवं प्र.पी.05 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं।

24— साक्षी नरेन्द्र पटले अ.सा.18 ने कहा है कि वह हाजिर आरोपी को जानता है। उसके समक्ष पुलिस ने कुछ जप्त एवं किसी को गिरफ्तार नहीं किया था। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसके समक्ष दिनांक 05.02.2010 को ग्राम अरंडिया से आरोपी रूपेन्द्र पटले से टाटा सूमों वाहन क्रमांक एम.पी.20/एस-5432 एवं एक रजिस्ट्रेशन बुक, बीमा पॉलिसी एवं एक क्षतिग्रस्त वाहन सुजुकी मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.220/डी-3459, जिसकी कीमत करीब सात हजार रुपये हेडलाईट मुड़ा हुआ जप्त किया था, जो प्र.पी.13 है, किन्तु उसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उक्त दिनांक को ही आरोपी रूपेन्द्र पटले को उसके समक्ष गिरफ्तार किया गया था जो प्र.पी.14 है किन्तु उसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, पुलिस ने उक्त दिनांक को ही वाहन सुजुकी क्रमांक एम.पी.22/डी-3459 का नुकसानी पंचनामा उसके समक्ष बनाया था जो प्र.पी.15 है किन्तु उसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, उक्त दस्तावेजों के प्र.पी.13, 14, 15 की कार्यवाही उसके समक्ष हुई थी, तभी उसने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था। वह पढ़ा लिखा है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह पढ़ा लिखा है और उक्त दस्तावेजों को पढ़कर हस्ताक्षर किया था, उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिए वह आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी उसका भाई है, पुलिसवाले उसके भाई को ले गये थे, तब वह उससे मिलने थाने गया था, तब पुलिस ने उससे दस्तखत करवा लिये थे। उसने जिन कागजातों पर हस्ताक्षर किया था, उसे पढ़कर नहीं दिखाये गये थे। उसने पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है।

25— साक्षी महेश परते अ.सा.16 ने कहा है कि वह दिनांक 06.02.2010 को थाना परसवाड़ा में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा वाहन क्रमांक एम.पी.20एच.4532 टाटा सूमो का मैकेनिकल परीक्षण किया गया था। परीक्षण पर उसने वाहन का ब्रेक फ़ैल होना एवं रेडियेटर जाली क्षतिग्रस्त होना पाया था। शेष वाहन के पुर्जे ठीक हालत में थे। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.12 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

26— साक्षी गुरुवचनसिंह अ.सा.21 ने कहा है कि वह दिनांक 30.01.2010 को थाना परसवाड़ा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी हीरालाल पिता मेहताल उईके, निवासी ग्राम चीनी ने एक्सीडेंट के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 06/10 पर दर्ज की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं ए से ए भाग पर फरियादी हीरालाल के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 05.02.2010 को अतरसिंह पिता चमरूलाल निवासी कुरवाई ने एक्सीडेंट में घायल संतलाल की मृत्यु होने के संबंध में सूचना दी थी, जो मार्ग इंटीमेशन क्रमांक 02/10 पर दर्ज की थी,

फा.नं.234503000842010

जो प्र.पी.18 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 05.10.2010 को मृतक संतलाल पिता बैगासिंह सरोते, उम्र-40 वर्ष निवासी कुरवाई के शव का पंचायतनामा साक्षीगण के समक्ष तैयार किया था, जो प्र.पी.05 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पंचायतनामा लाश के उपरांत मृतक संतलाल के शव को पी.एम. हेतु फार्म भरकर जरिये आरक्षक बाबूराम के सी.एच.सी. परसवाड़ा भेजा गया। पी.एम. रिपोर्ट प्र.पी.19 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 05.02.2010 को आरोपी रूपेन्द्र पटले वल्द बलराम पटले निवासी अरंडिया को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.14 तैयार किया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को आरोपी रूपेन्द्र पटले से एक टाटा सुमो जीप नंबर एम.पी.20.एच.5432 व वाहन का रजिस्ट्रेशन, बीमा पॉलिसी व क्षतिग्रस्त मोटर सायकिल सुजुकी नंबर एम.पी.22.डी.3459 को जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.13 साक्षीगण के समक्ष तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में विवेचना के दौरान साक्षीगण नंदराम मड़ावी, चैतराम यादव, रामेश्वर उर्फ टम्मू, विशाल, संतोष कटरे के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। मोटर सायकिल सुजुकी के टूटने के संबंध में नुकसानी पंचनामा प्र.पी.15 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना उपरांत आरोपी रूपेन्द्र पटले के विरुद्ध चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

27— साक्षी गुरुवचनसिंह अ.सा.21 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना की रिपोर्ट घटना के 5-6 दिन बाद की गई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब का कारण लेख नहीं किया गया है। साक्षी के अनुसार विलंब का कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज है। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि उसने वाहन की जप्ती घटना के 05 दिन बाद की थी, उसने घटनास्थल से कोई जप्ती नहीं की है, उसने साक्षी नंदराम, चैतराम, रामेश्वर, विशाल, संतोष कटरे के कथन घटना के लगभग डेढ़ माह के बाद लेख किये थे, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसने उक्त साक्षीगण के कथन अपने मन से लेखबद्ध किया था। उक्त साक्षीगण ने न्यायालय के समक्ष आकर ऐसे कथन व्यक्त नहीं किये हो तो वह इसका कारण नहीं बता सकता। यह अस्वीकार किया कि उसने उक्त साक्षीगण के कथन अपने मन से लेख कर लिया था, इसलिये उक्त साक्षीगण ने न्यायालय में ऐसे कथन नहीं दिये हैं तथा आरोपी रूपेन्द्र वाहन को नहीं चला रहा था और उसके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई थी तथा उसके द्वारा फरियादी से मिलकर घटना के पांच दिन बाद आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

28— साक्षी कप्तानसिंह अ.सा.15 ने कहा है कि वह दिनांक 30.01.2010 को थाना परसवाड़ा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक 6/10 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने विवेचना के दौरान प्रार्थी हीरालाल उइके की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को प्रार्थी हीरालाल, साक्षी फूलाबाई, महिमा के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था एवं दिनांक 09.02.2010 को रमेश, नंदलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 04.02.2010 को जागेश्वर कटरे,

फा.नं.234503000842010

मेहताब सिंह के कथन लेख किया था। दिनांक 01.02.2010 को संतलाल, नरेन्द्र सिंह के बयान लेख किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि उसे विवेचना हेतु डायरी दिनांक 30.01.2010 को प्राप्त हुई थी, परंतु कितने बजे प्राप्त हुई थी, वह नहीं बता सकता। डायरी प्राप्त होने के बाद उसने प्रार्थी की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटनास्थल में उसने चिन्हित स्थानों की दूरी दर्ज नहीं की है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसने नजरी नक्शा थाने में बैठकर तैयार कर लिया था, इसलिये दूरी दर्ज नहीं की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह जब नजरी नक्शा तैयार करने के लिए गया था, तब घटनास्थल पर बहुत से लोग खड़े थे तथा घटनास्थल तैयार करते समय उसने किसी भी साक्षीगण के वहां हस्ताक्षर नहीं कराये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया कि मौके पर जाकर उसने मौका नक्शा तैयार नहीं किया था, इसलिये साक्षीगण के हस्ताक्षर नहीं लिये थे, उसके द्वारा समस्त साक्षीगण के कथन अपने मन से लेख कर लिये गये थे, चालान में प्रस्तुत किये गये कथन साक्षीगण द्वारा नहीं दिये गये थे, आरोपी के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया था, उसने प्रार्थी से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया था, घटना के समय आरोपी वाहन नहीं चला रहा था तथा आरोपी के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया था।

29— प्रकरण में बचाव पक्ष का मुख्य बचाव यह है कि घटना के समय आरोपी द्वारा वाहन चालन नहीं किया जा रहा था तथा अभियुक्त द्वारा भी अपने परीक्षण में उक्त संबंध में कथन किये गये हैं। घटना के दोनों आहत हीरालाल अ.सा.01 तथा जागेश कटरे अ.सा.14 ने अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन के कथन किये हैं। घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी फूलाबाई अ.सा.06, महिमाबाई अ.सा.08 तथा नरेन्द्र उइके अ.सा.11 ने भी अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में घटना के समय अभियुक्त द्वारा ही वाहन चालन के कथन किये हैं। एक मात्र साक्षी नंदराम अ.सा.17 ने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के उक्त सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना के समय चालक नरेन्द्र द्वारा वाहन चालन किया जा रहा था। उक्त साक्षी के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते, क्योंकि साक्षी ने सभी अभियोजन साक्षियों के विपरीत घटना का वृत्तांत दिया है और स्वयं नरेन्द्र उइके अ.सा.11 ने अपने प्रतिपरीक्षण में आरोपी द्वारा वाहन चालन के कथन किये हैं, जबकि अभियुक्त द्वारा तत्संबंध में अपने बचाव में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं है। फलतः यह सिद्ध होता है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालन किया जा रहा था। प्रकरण की साक्ष्य से यह भी दर्शित है कि अभियुक्त द्वारा चलाये जा रहे वाहन से कारित प्रश्नगत दुर्घटना में संतलाल की मृत्यु हुई थी तथा हीरालाल एवं जागेश को उपहति कारित हुई थी। अब प्रश्न अभियुक्त के उतावलेपन तथा उपेक्षा का है। प्रकरण के लगभग सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों तथा स्वयं आहतगण ने सड़क किनारे खड़े आहतगण को अभियुक्त द्वारा टक्कर मारने के अखण्डनीय कथन किये हैं। मौका-नक्शा प्र.पी.02 से घटनास्थल सड़क किनारे होने की पुष्टि होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 से भी साक्षीगण के कथनों की पुष्टि होती है। एक मात्र साक्षी नंदराम अ.सा.17 ने मोटर सायकिल अनियंत्रित होने के कारण घटना होने के कथन किये हैं। उक्त साक्षी के कथन अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं, क्योंकि उसने

फा.नं.234503000842010

संपूर्ण साक्ष्य के विपरीत अपुष्टिकारक कथन किये हैं, जिसके समर्थन में प्रकरण में कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। आहत जागेश अ.सा.14 ने चालक को बाजू में बैठाकर आरोपी द्वारा दुर्घटना करने के कथन किये हैं तथा वाहन में सवार चालक नरेन्द्र अ.सा.11 ने अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में आरोपी का उतावलापन दर्शित किया है। यद्यपि वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.12 में वाहन का ब्रेक फेल होना दर्शित है, तथापि आवासीय स्थल की सड़क पर अभियुक्त द्वारा जिस प्रकार दुर्घटना कर मृत्यु एवं जन-धन की क्षति कारित की गई, उससे अभियुक्त के उतावलेपन तथा उपेक्षापूर्ण आचरण का अंदाज सहज ही लगाया जा सकता है। जिससे यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर, आहत हीरालाल तथा जागेश कटरे को उपहति कातिर की तथा संतलाल की मृत्यु कारित की।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 04 का निष्कर्ष :-

30- पूर्व विवेचना से दर्शित है कि घटना के समय आरोपी रूपेन्द्र पटले वाहन चला रहा था, परंतु वाहन को बिना अनुज्ञप्ति एवं बीमा के चलाये जाने के संबंध में प्रकरण में लेशमात्र भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। किसी भी साक्षी ने उक्त संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में आरोपित अपराध के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध कोई विपरीत उपधारणा नहीं की जा सकती। फलतः यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी द्वारा घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना अनुज्ञप्ति एवं बीमा कराये चालन किया।

31- फलतः अभियुक्त रूपेन्द्र पटले को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-3/181, 146/196 में दोषमुक्त कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337(दो शीर्ष), 304ए के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

32- अभियुक्त के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रवधानों का लाभ देना अथवा उसके विरुद्ध नर्म रूख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उसे एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है। अभियुक्त रूपेन्द्र पटले द्वारा कारित तीनों अपराध एक ही संव्यवहार में किये गये हैं, जिस हेतु पृथक-पृथक दंड की प्रणीति न्यायिक प्रतीत नहीं होती। फलतः उसे केवल गुरुत्तर अपराध के लिए दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

33- अतः प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त रूपेन्द्र पटले को धारा-337(दो शीर्ष) भा.द.सं. में दोषी पाकर प्रत्येक हेतु 500/- (पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा-304ए भा.दं0सं0 में दोषी पाकर 06 माह के साधारण कारावास एवं 5,000/- (पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा ना करने पर अभियुक्त को अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि के लिए एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

फा.नं.234503000842010

34— अर्थदण्ड की राशि में से 500—500 /— रुपये आहतगण हीरालाल तथा जागेश कटरे तथा 5,000 /— रुपये मृतक संतलाल के परिजनों को धारा—357(1)(बी) दं.प्र.सं. के अंतर्गत अपील अवधि पश्चात एवं अपील ना होने की दशा में अदा की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

35— अभियुक्त प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहा है, उक्त संबंध में धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे, जो कि निर्णय का भाग होगा।

36— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

37— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन टाटा सूमो क्रमांक एम.पी.20एच.5432 वाहन स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

38— प्रकरण में अन्य जप्तशुदा वाहन एम.पी.20एच.5432 आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में सुरक्षार्थ रखी गई है। उक्त वाहन अपील अवधि पश्चात पंजीकृत स्वामी को प्रदान किया जावे तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

39— अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि धारा—363(1) दं.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,

मेरे बोलने पर टंकित किया।

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही /—

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी
(शासकीय / विधिक उपयोग)